बीएचयू अस्पताल से उमंग फार्मेसी का अनुबंध खत्म

संजय सिंह • वाराणसी

बीएचयू स्थित उमंग फार्मेसी • आर्काइव

- 10 साल पुरानी सेवा शर्तों पर काम करना चाहती थी कंपनी लेकिन नहीं बनी सहमति, खाली करनी होंगी दुकानें
- नई कंपनी के चयन के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू, अस्पताल प्रशासन ने उमंग को थमाया नोटिस

बीएचयू प्रबंधन ने उमंग फार्मेसी से एक दशक पुराना रिश्ता तोड़ लिया है। दवा आपूर्ति कंपनी का सर सुंदरलाल अस्पताल से अनुबंध (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग) खत्म हो चुका है। प्रबंधन ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। एक महीने में कैंपस खाली करने की मोहलत दी है। कहा है कि अब नई कंपनी बीएचयू द्वारा निर्धारित दरों पर मरीजों को दवा बिक्री करेगी। कंपनी चयन के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर दस्तावेज अपलोड हो चुका है। फर्म के संचालक 10 साल पहले निर्धारित सेवा शर्तों के आधार पर काम करना चाहते थे लेकिन बीएचयू का कहना है कि उन्हें वर्तमान परिवेश के आधार पर अनुबंध करना होगा।

सहमति नहीं बनने के कारण बीएचयू ने अनुबंध निरस्तीकरण को स्वीकृति दी है। वर्ष 2013 में उमंग फार्मेसी को सर सुंदरलाल अस्पताल परिसर में 4430 वर्ग फीट क्षेत्रफल आवंटित हुआ था। तीन दुकानें स्थापित की गईं, इनमें एक पुरानी इमरजेंसी के बगल, दूसरी पुराना आइसीयू और तीसरी दुकान हनुमान मंदिर के सामने संचालित की जाने लगी। इन दुकानों के एवज में बीएचयू को किराये के रूप में प्रति वर्ष आठ करोड़ से अधिक राजस्व मिलता है। उमंग के पहले तीन अन्य फर्मों ने दवा आपूर्ति का जिम्मा उठाया था लेकिन वह कुछ महीने ही सुविधा दे सकीं। उन्होंने काम छोड़ दिया था। अस्पताल परिसर में दवा की दुकानें स्थापित करने का उद्देश्य था कि मरीजों और तीमारदारों को दवा खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। कैंपस के अंदर ही उन्हें बीएचयू द्वारा निर्धारित रेट पर दवा उपलब्ध हो जाए। चूंकि डाक्टर ज्यादातर दवाएं बाहर की दुकानों की लिखते हैं, इसलिए यह मंशा सौ फीसद प्रभावी नहीं हो सकी। दवा माफिया के चंगुल में मरीज आए दिन फंसते हैं, वह महंगे रेट पर दवाएं खरीदते हैं।

ट्रामा सेंटर के लिए नई सेवा शर्त तो अस्पताल में क्यों नहीं?

प्रो. कैलाश कुमार

सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. कैलाश कुमार ने बताया कि उमंग फार्मेसी ने ट्रामा सेंटर में दो दुकानें संचालित की हैं, इसके लिए उन्होंने नई सेवा शर्तों के आधार पर अनुबंध किया है। ऐसे में सर सुंदरलाल अस्पताल परिसर के लिए पुरानी सेवा शर्तों के आधार पर दुकान संचालन संभव नहीं होगा। वह सहमत नहीं थे, इसलिए अनुबंध निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अब नई कंपनी वर्तमान परिवेश के हिसाब से दवा की आपूर्ति करेगी, इससे बीएचयू को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

अस्पताल परिसर में स्थापित होने चाहिए अधिक काउंटर

बीएचयू अस्पताल में प्रतिदिन आठ हजार मरीज ओपीडी में आते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी, आइसीयू और दूसरे वार्डों में 2600 से अधिक बेड पर मरीज भर्ती होते हैं। उन्हें सस्ती दवाओं की अधिक जरूरत होती है। अस्पताल परिसर में उमंग फार्मेसी के अलावा अमृत और जन औषधि केंद्र का एक-एक काउंटर है, लेकिन वहां अधिकतर दवाएं नहीं मिलती हैं। ऐसे में मरीजों की बाहरी दुकानों पर निर्भरता रहती है। अगर वहां और काउंटर खोल दिए जाएं तो मरीजों और तीमारदारों को दवा के लिए भटकना नहीं पड़े।

कलाचित्र में सीमा छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन